

छत्तीसगढ़ शासन  
आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक/एफ-19-16/2014/25/2

नया रायपुर, दिनांक 09/09/2016

28 SEP 2016

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव  
छ.ग. शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग/विधि विभाग/राजस्व विभाग/वित्त विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर
2. आयुक्त  
आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास  
इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
3. संचालक  
आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान  
रायपुर छ.ग.
4. समस्त कलेक्टर्स  
छत्तीसगढ़
5. सचिव  
छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग  
सी-21, रविनगर, कलेक्टोरेट के पीछे  
रायपुर छ.ग.

विषय:- राज्य की पिछड़ा वर्ग की सूची में नवीन जातियों का समावेशन।

उपरोक्त विषयान्तर्गत छ.ग. राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची के अनुक्रमांक 16, 30, 39 एवं 83 में शामिल जातियों के आगे 08 नवीन जातियों को सम्मिलित किया गया है, जिसकी अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र के दिनांक 09 सितम्बर 2016 के अंक में प्रकाशित हुई है। प्रकाशित अधिसूचना की प्रति संलग्न है।

2- कृपया अधिसूचना की प्रति संबंधित अधीनस्थों को उपलब्ध कराते हुए तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्न:- यथोपरि.

आवक जांचक के./BCC/O  
दिनांक

(डी.डी. कुजाम)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

आदिम जाति तथा अनु.जा.वि.वि.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 348 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 सितम्बर 2016 — भाद्रपद 18, शक 1938

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2016

अधिसूचना

क्रमांक/एफ 19-16/2014/25-2. — राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची के अनुक्रमांक 16, 30, 39 एवं 83 में शामिल जातियों के आगे उनके सम्मुख अंकित निम्नानुसार जातियों को सम्मिलित करता है :-

क्र.	अ. पि. वर्ग की सूची का क्रमांक	पूर्व से सम्मिलित नाम जाति/उपजाति/वर्ग समूह	नवीन सम्मिलित जाति	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	16	भटियारा, हलवाई, गुरिया.	गुडिया, गुडोया	गुड़ का मिठाई बनाकर बेचना.	--
2.	30	गारपगारी, नाथ-जोगी, जोगीनाथ, हरिदास, नाथयोमी	जोगी, नाथजोगी	धार्मिक भिक्षावृत्ति	“जोगी” धार्मिक पिशागति करते हैं लेकिन इस समूह में जो ब्राह्मण हैं, वे शामिल नहीं हैं
3.	39	कुरमी, कुरमार, कुन्बी, कुन्बी, कुर्मा, पाटीदार, कुलमी, कुल्मी, कुल्मयी, कुर्मवंशी, चन्द्राकर, चन्द्रनाह, चंदनाह, चन्नाह, कुंभी गवंश, गर्मेल, सिन्वी, गवंश, कुन्वी कुन्वी, धारिया	गवेल, गभेल	कृषि एवं कृषि मजदूरी	--
4.	83		धारिया, थुडिया	कृषि मजदूरी	--

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्री डी. कुंजम, राज्यपाल की सेवा में

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग**  
**मंत्रालय,**  
**महानदी भवन, नया रायपुर**

- : : अधिसूचना : :-

नया रायपुर, दिनांक - 9 SEP 2016

क्रमांक/एफ 19-16/2014/25-2 : राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची के अनुक्रमांक 16, 30, 39, एवं 83 में शामिल जातियों के आगे उनके सम्मुख अंकित निम्नानुसार जातियों को सम्मिलित करता है :-

क्रं.	अ. पि. वर्ग की सूची का क्रमांक	पूर्व से सम्मिलित नाम जाति/उपजाति/वर्ग समूह	नवीन सम्मिलित जाति	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
1.	16	भटियारा, हलवाई, गुरिया	गुड़िया, गुडीया	गुड़ का मिठाई बनाकर बेचना	---
2.	30	गारपगारी, नाथ-जोगी, जोगीनाथ, हरिदास, नाथयोगी	जोगी, नाथजोगी	धार्मिक भिक्षावृत्ति	"जोगी" धार्मिक भिक्षावृत्ति करते हैं लेकिन इस समूह में जो ब्राम्हण हैं, वे शामिल नहीं है।
3.	39	कुरमी, कुरमार, कुनबी, कुन्बी, कुर्मी, पाटीदार, कुलमी, कुल्मी, कुलम्बी, कुर्मवंशी, चन्द्राकर, चन्द्रनाहू, चंदनाहू, चन्नाहू, कुंभी, गवैल, गमैल, सिरवी, गबेल, कुन्ची, कुनवी	गवेल, गभेल	कृषि एवं कृषि मजदूरी	---
4.	83	थोरिया	थुरिया, थुड़िया	कृषि मजदूरी	---

A.R.O.

30.9.16

आयुक्त आचार्य / BCC/O  
दिनांक 03/30.09.2016

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(डी.डी.कुजाम)  
संयुक्त सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन

आ0जा0तथा अनु0जा0वि0विभाग

//2//

पृ०क्रमांक/एफ 19-16/2014/25-2,  
प्रतिलिपि :-

नया रायपुर,दिनांक - 9 SEP 2016

- (1) प्रमुख सचिव/सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ रायपुर.
- (2) प्रमुख सचिव, छ.ग.विधानसभा सचिवालय, रायपुर.
- (3) अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर.
- (4) निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, नया रायपुर.
- (5) महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर.
- (6) मुख्य सचिव के अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर.
- (7) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, समस्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर.
- (8) सचिव, छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर.
- (9) आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर.
- (10) आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छ०ग० रायपुर.
- (11) संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, छ०ग०, रायपुर.
- (12) समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़.
- (13) समस्त जिलाध्यक्ष, छत्तीसगढ़.
- (14) समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, छत्तीसगढ़.
- (15) उप संचालक, शासकीय मुद्रणालय नया रायपुर की ओर इस अधिसूचना को असाधारण राजपत्र दिनांक 09-09-2016 में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित ।
- (16) सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, रायपुर।
- (17) आर्डर फोल्डर।

संयुक्त सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन

आ०जा०तथा अनु०जा०वि०विभाग